न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 31/2019

1. रामदेव पुत्र स्व0 श्री रामपाल पौत्र स्व0 श्री लादू जाति रावत
2. जयसिह पुत्र स्व0 श्री रामपाल पौत्र स्व0 श्री लादू जाति रावत
3. सवाई सिह पुत्र स्व0 श्री रामपाल पौत्र स्व0 श्री लादू जाति रावत
4. नानूसिह पुत्र स्व0 श्री रामपाल पौत्र स्व0 श्री लादू जाति रावत
5. श्रीमति चक्का पुत्री स्व0 श्री रामपाल पौत्री स्व0 श्री लादू जाति रावत
6. श्रीमति नौसर पुत्री स्व0 श्री रामपाल पौत्री स्व0 श्री लादू जाति रावत

समस्त निवासी ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती प्रेम पत्नि श्री मदनसिह जाति रावत निवासी ग्राम गुवारडी तहसील व जिला अजमेर
2. श्रीमती हीरादेवी पत्नि श्री सुल्तान सिह जाति रावत निवासी हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर
3. श्री रणवीर सिह पुत्र श्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी न्यू गीता कॉलोनी पुष्कर रोड अजमेर
4. उप पंजियाक प्रथम पंजीयन विभाग जयपुर रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर तहसील अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक 16.09.2019**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि चौसाला खसरा नम्बर 1171 रकबा 01—02—10 के वर्किंग खसरा नम्बर 1579 रकबा 01—02—10 वर्तमान खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.18 हैक्टर किस्म चाही 1 चौसाला खसरा नम्बर 1172 रकबा 01—00—00 वर्किंग खसरा नम्बर 1580 रकबा 01—00—00 वर्तमान खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही 1, चौसाला खसरा नम्बर 1173 रकबा 00—08—10 वर्किंग खसरा नम्बर 1581 रकबा 00—08—10 वर्तमान खसरा नम्बर 1341 रकबा 0.07 चाही 1 चौसाला खसरा नम्बर 1174 रकबा 00—03—00 वर्किंग खसरा नम्बर 1583 रकबा 00—03—00 वर्तमान खसरा नम्बर 1358 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म चाह है। आवेदनकर्त्ता के परिवार सजरानुसार लादू फौत, रामपाल फौत रामपाल के पुत्र रामदेव, जयसिह, सवाई सिह,नानूसिह,चक्का (पुत्री) नौसल पुत्री है। उक्त वर्णित भूमि जो कि आवेदनकर्तागण की पुश्तैनी संयुक्त सह हिस्सेदारी की खातेदारी की कृषि भूमि है मिसल बन्दोबस्त 1349 फसली खेवट एवं खतौनी जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्तागण के दादा श्री लादू पुत्र कज्जा के नाम दर्ज है तथा चौसाला जमाबंदी संवंत 2023 से 2026 की खतौनी संख्या 630 एवं खतौनी संख्या 632 कि जिसमें भी आवेदनकर्तागण के दादा सह हिस्सेदार खातेदार दर्ज है तथा खतौनी संख्या 632 में हिस्सेदार बकाश्त लादू दर्ज है चौसाला जमाबंदी सवंत 2023 से 2026 के अनुसार आवेदनकर्तागण के दादा लादू के साथ अन्य सह हिस्सेदार कि जिनके मध्य आपसी बंटवारा हो चुका था आपसी बंटवारे के अनुसार चौसाला जमाबंदी में वर्णित समस्त सह हिस्सेदारो का उनके हिस्से अनुसार वर्किंग जमाबंदी में अलग अलग खाते कायम कर दिये गए तथा वर्किंग जमाबंदी में

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

आवेदनकर्तागण के दादा लादू के स्वर्गवास के पश्चात आवेदन पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि आवेदकर्तागण के पिता रामपाल के ही नाम दर्ज कर दी गई जबकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी भूमि में आवेदनकर्तागण का जन्म से ही हित निहित हो चुका था आवेदनकर्तागण अपने पिता रामपाल के साथ सह हिस्सेदार थे परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा वर्किंग जमाबंदी आवेदनकर्तागण के ना ही दर्ज नही की गई बल्कि आवेदनकर्तागण के पिता रामपाल पुत्र लादू के ही नाम दर्ज कर दी गई जबकि पुश्तैनी भूमि में आवेदनकर्तागण कि जिनका जन्म से ही हित निहित हो चुका था ऐसी अवस्था में वर्किंग जमाबंदी में रामपाल के साथ आवेदनकर्तागण के भी नाम इन्द्राज किया जाना चाहिए था इस प्रकार आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि कि जिसमें कुल 7 हिस्से कि जिसमें सह हिस्से आवेदनकर्तागण एवं 1 हिस्सा आवेदनकर्तागण के पिता रामपाल का इसी अनुसार इन्द्राज किया जाना चाहिए था जिस कारण आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि कि जिसमें से 6 हिस्से के आवेदकर्तागण को खातेदारी घोषित किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में आवेदनकर्तागण का नाम खातेदारी इन्द्राज करावाये जाने की घोषणा की आज्ञप्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रवधानो अनुसार दादा की धारित खातेदारी की भूमि जो आवेदनकर्तागण की पुश्तैनी भूमियां है कि जिसमें आवेदनकर्तागण का जन्म से ही समस्त हक अधिकार एवं खातेदारी हक निहित हो चुके थे के बावजूद राजस्व विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी में आवेदनकर्तागण के नाम इन्द्राज ही नही किया गया जबकि आवेदन पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि जो कि आवेदनकर्तागण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है जो कि मिसल बन्दोबस्त 1349 फसली खेवट व खतौनी जमाबंदी एवं चौसाला जमाबंदी सवंत 2023 से 2026 से यह प्रमाणित है कि आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि आवेदनकर्तागण के दादा की खातेदारी की भूमि है इस कारण आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के रामपाल पुत्र लादू जो आवेदतकर्त्ता के पिता थे के साथ आवेदनकर्तागण भी संयुक्त 6 हिस्सेदार थे परन्तु जमाबंदी में आवेदनकर्तागण के नाम इन्द्राज ही नही किया गया । उक्त सम्पूर्ण भूमि जिसमें से वर्तमान खसरा नम्बर 1343, 1344 एवं 1358 की सम्पूर्ण भूमि का इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम वंर्तमान जमाबंदी में गलत दर्ज किया गया

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

इसी प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 1341 की सम्पूर्ण भूमि का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 3 के नाम गलत इन्द्राज किया गया जबकि आवेदनकर्तागण के द्वारा उनके हिस्से की भूमि कि जिसे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को कीाी बेचान, हस्तान्तरण ही नही की गई । आवेदनकर्तागण के द्वारा वर्किंग जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी तहसील कार्यालय से दिनांक 17.5.2019 को प्राप्त की गई जब आवेदकर्तागण को यह जानकारी हुई कि आवेदन पत्र के पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि जो कि आवेदनकर्तागण की पुश्तैनी भूमिया है कि जिसमें आवेदनकर्तागण का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार जन्म से ही समस्त अधिकार खातेदारी हक निहित हो चुके थे । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राजसीन सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के द्वारा परिपत्र कमांक प 5 (1)राज–6/97/18 दिनांक 8.1.2007 के अनुसार भी पैत्रिक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। वर्तमान खसरा नम्बर 1343, 1344, 1358 की सम्पूर्ण भूमि को आवेदनकर्तागण के पिता से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा कय किया जाना दर्शाया तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1341 की भूमि को अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा आवेदनकर्तागण के पिता से कय किया जाना दर्शाया । अतः आवेदन आवेदनकर्त्ता का स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के संदर्भ में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एवं उनके वारिस अटोर्नीज के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर पाबन्द किया जावे कि वे आवेदनकर्तागण के विधिक अधिकारो में उपयोग तथा उपभोग में किसी प्रकार से दखल एवं व्यवधान नही करे ना ही बेचान, बैयनामा हस्तान्तरण करे। वकिल प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे (राज) 1995 पेज 691, आरएल डबलू 2007 पेज 22, आरआरटी 2012 (1) पेज 626, आरआरटी 2019 पेज 1150 प्रस्तुत किये ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकिल अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूकि राजस्व अभिलेख में अंकित खसरा नम्बरान व रकबा के बाबत कथन किये है जो अपूर्ण है जिसमें जानबूझकरा प्रार्थीगण ने रेकार्डेड समस्त खातेदारान के नाम अंकित नही किये गये है। प्रार्थीगण ने अपने पिता–दादा का मात्र नाम अंकित कर सजरा दर्शाया है

Scanned by CamScanner

जो भी अपूर्ण है जिसमें भी प्रार्थीगण ने अपने दादा व पिता की मृत्यु दिनांक का अंकन जान बूझकर नही किया है। वादग्रस्त भूमि का मूल खातेदार लादू रहा जिसके एक मात्र पुत्र रामपाल होने से लादू की मृत्यु के बाद फौती विरासत कायम मुकाम के रूप में प्रतिवादीगण के पिता रामपाल के नाम खातेदारी का अंकन विधिक प्रावधानो के तहत सही रूप सें किया गया था। मूल खातेदार लादू की मृत्यु हो जाने पर उसकी एक मात्र संतान रामपाल के नाम खातेदार के रूप में वादग्रस्त भूमि का अंकन किया जाना प्रार्थीगण ने स्वीकार किया है। चूकि प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता रामपाल के जीवनकाल में उनसे अपने हक हिस्से के बाबत उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के लिये कोई कार्यवाही नही की गई थी। क्योंकि उन्हे पूणज जानकारी है कि हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखियाकर्ता के रूप में उनके पिता रामपाल ने ही उनके पालन पोषण व आवश्यक आवश्यकताओ की पूर्ति परिवार का कर्ता होने से की है और कर्ता खानदान होने से उसने खातेदारी की भूमि का बेचान पंजीकृत बैनामे से अपने जीवनकाल में दिनांक 18.10.2004 को किया था जिसकी पालना में केतागण हाल अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार के रूप में अंकन दर्ज किया जा चुका था जिसे भी प्रार्थीगण ने चुनौती नही दी और उसके बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 20.5.2013 से वादग्रस्त भूमि का बेचान हाल अप्रार्थी संख्या 03 को कर दिया था जिसके पक्ष में वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खातेदार कारश्तकार के रूप में अंकन दर्ज है। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता ने सक्षम खातेदार के रूप में पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 18.10.2004 को ही बेचान कर दिया । प्रार्थीगण अपने बाप–दादा की मृत्यु के पश्चात पुश्तैनी सम्पति शेष रहती । जबकि यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में ही पंजिकृत विक्रय पत्र से बेचान कर दिया इस स्थिती में प्रार्थीगण का अब कोई हक अधिकार, हिस्सा, कब्जा वादग्रस्त भूमि में शेष नही रहा है। प्रार्थीगण ने विधिक प्रावधानो का हवाला दिया है जो प्रार्थीगण पर लागू नही होते है । क्योकि स्वयं ने स्वीकार किया है कि पैतृक भूमि का पिता के ~~जीवनकाल~~ जीवनकाल में ही विभाजन करवा सकते है। लेकिन प्रार्थीगण ने दिनांक 18.10.2004 के पूर्व तक पिता द्वाराबेचान करने के पहले व उसके बाद से करीबन 15 सालो बाद जब उनके हक समाप्त हो गये तब आधारहीन कथनो से परिपूण्र वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

Scanned by CamScanner

है। प्रार्थीगण ने स्वयं स्वाकारोक्ति की है कि वादग्रस्त भूमि को उनरके पिता ने अप्रार्थीगण को बेचान कर दिया था जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर अप्रार्थीगण का अंकन खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण ने यह स्वीकारोक्ति की है कि आवेदन व दावा दायरी के रोज वर्तमान जमाबंदी संवत 2070-2073 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी का अंकन है। चूकि यह सर्वविदीत सिद्वान्त है कि रेकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। दावा दायरी के रोज एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में है और वे खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति कारित होने के उक्त तीनो बिन्दु ही प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है । अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेघाज्ञा का आवेदन मय खर्चे के निरस्त किया जावे । वकिल अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत बोर्ड आफ रेवेन्यू अपील संख्या 3692/2011 केसर बनाम अगूरी, आरबीजे (4) 1997 पेज 111, आरबीजे (23) 2016 पेज 125, आरबीजे (16)2009 पेज 533, आरबीजे (16) 2009 पेज 536, आरबीजे (3) 1996 पेज 215, आरबीजे (4) 1997 पेज 44, आरबीजे (21) 2014 पेज 637 प्रस्तुत किये गये ।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी 3 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत राजस्व अभिलेख में अंकित खसरा नम्बरान व रकबा के बाबत कथन अपूर्ण है। जानबूझकर प्रार्थीगण/वादीगण ने रेकार्डेड खातेदारान के रूप में दर्ज व्यक्तियों के नाम अंकित नही किये है। प्रार्थीगण ने अपने पिता-दादा का सजरा दर्शाया है जो अपूर्ण है जिसमें प्रार्थीगण ने अपने दादा व पिता की मृत्यु कि दिनांक का अंकन जानबूझकर नही किया है। वादग्रस्त भूमि का मूल खातेदार लादू रहा जिसके एक मात्र पुत्र रामपाल होने से लादू की कृत्यु के बाद फौती विरासत कायम मुकाम के रूप में प्रार्थीगण के पिता रामपाल के नाम खातेदारी का अंकन विधिक प्रावधानो के तहत किया गया । मूल खातेदार लादू की मृत्यु हो जाने पर उसकी एक मतात्र संतोन रामपाल के नाम खातेदार के रूप में वादग्रस्त भूमि का अंकन किया जाना प्रार्थीगण ने स्वीकार किया है। प्रार्थीगण ने अपने पिता रामपाल के जीवनकाल में

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

े अपने हक हिस्से के बाबत वादग्रस्त भूमि के लिये कोई कार्यवाही नही की । हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखियाकर्ता के रूप में उनके पिता रामपाल ने ही के पालन पोषणा व आवश्यक आवश्यकताओ की पूर्ति परिवार का कर्ता होने से है और कर्ता खानदान होने से उसने खातेदारी की भूमि का बैचान पंजीकृत नामें से अपने जीवन काल में दिनांक 18.10.2004 को किया और खरीददारान प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण तस्दीक होकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी के रूप में अंकन दर्ज किया जिसे भी प्रार्थीगण ने चुनौती नही दी और उसके बाद अप्रार्थीगण 1 व 2 ने पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 20.5.2013 से वादग्रस्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 3 को कर दिया जिसके पक्ष में भी वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता ने खातदेार के रूप में पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 18.4.2010 को ही बेचान कर दिया । प्रार्थीगण को अपने बाप–दादा की सम्पति में हक हिस्सा अधिकार बि ही प्राप्त हो सकते थे जब उनके द्वारा सम्पति को बैचान नही किया जाता और बाप दादा की मृत्यु के बाद पुश्तैनी सम्पति शेष रहती लेकिन प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में ही पंजीकृत विकय पत्र से बेचान कर दिया तक कोई अधिकार हिस्सा कब्जा वादग्रस्त भूमि में शेष नही रहा । प्रार्थीगण ने स्वीकार किया कि पैतृक भूमि का पिता के जीवनकाल में ही विभाजन करवा सकते है लेकिन प्रार्थीगण ने दिनांक 18.10.2004 के पूर्व तक पिता द्वारा बैचान करने के पहले व उसके बाद से करीबन 15 सालो बाद जब उनके हक समाप्त हो गये तब आधारहीन कथनो से पूरिपूर्ण वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने स्वीकारोक्ति की है कि वादग्रस्त भूमि को उनके पिता ने अप्रार्थीगण को बेचान कर दिया जिसके आधार पर राजस्व अभिलेख में नामानतकरण तस्दीक किया जाकर अंकन खातेदार के रूप में दर्ज किया है। न्यायनियमों तथा नजीरो में प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरित जिस प्रकार से लिखे है स्वीकार योग्य नही है क्योंकि दावा दायरी के राज एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में वादगग्रस्त भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी में औंर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति कारित होने के उक्त तीनों बिन्दु ही प्रार्थी के पक्ष में है जिससे प्रार्थीगण का अस्थाई निषेघाज्ञा का आवेदन मय खर्चे खारिज फरमावे ।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर

Scanned by CamScanner

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी रेकार्डड खातेदारी नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया हमने पाया कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं है । वादी/प्रार्थी विवादित भूमि के काबिज काश्त हो इस बात का कोई साक्ष्य वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। हम प्रतिवादी अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि काबिज खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेघाज्ञा विधि अनुसार जारी नही की जा सकती, इस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होता है। यदि अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है तो वादी/प्रार्थी के बजाय प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को असुविधा होगी, व सुविधा का सन्तुलन व अपूणीय क्षति भी वादि/प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण काबिज खातेदार के पक्ष में हैं उपरोक्त बिन्दुओ में से एक भी बिन्दु वादी/प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विशलेषण वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 16.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner